राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(176)एमई/ग्रुप–1/96 जयपुर, दिनांक : 2 FEB 2016

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ0 गोविन्द सिंह, जिनकी जन्मतिथि 29–12–1980 है एवं मेरिट क्रमांक एम–4/सामान्य है, को सहायक आचार्य, फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन के पद पर वेतन श्रृंखला 15600–39100 (ग्रेड पे रू. 6600/–) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13–03–2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20,200/– प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से एक वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते है।

इस नियुक्ति पर डॉ. गोविन्द सिंह का पदस्थापन मेडिकल कालेज, जोधपुर में सहायक आचार्य, फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहेबिलिटेशन के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पद पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/ क–2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होगें।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर में विचाराधीन S.B.Civil Writ Petition No. 13243/ 2015 Dr. Sonal Taunk Vs State & Oths. में होने वाले निर्णय के अध्यधीन होगी।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तो के तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आदेश से,

(सम्पत मल लोढ़ा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7(31)भर्ती/गोपनीय/2013–14/65 दिनांक 07.9.2015 के सन्दर्भ में।
4. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जोधपुर।
6. डॉ0 गोविन्द सिंह, प्लॉट नं. 481, गणेश नगर मैन, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर (राज.)–302012 **(रजिस्टर्ड डाक द्वारा)।**
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव